30/11/16 पत्रावली पेश हुई। प्रा०/ श्री आर० सायलान विरुद्ध गैरसायलान खारिज की जाती है। विस्तृत विवेचन पृथक से निर्णय जारी शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नतीजा [illegible] रिकॉर्ड में भेजा होकर दाखिल दफ्तर [illegible] किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी, प्रेमराज मीना RAS

मु0नं. 22/25 ता0रजू. 23.05.2025

उनवान

1. रमेश पुत्र किशन बाई पुत्री हरमुख उर्फ हरसुख उम्र 54 साल
2. आशा पुत्री किशन बाई पुत्री हरमुख उर्फ हरसुख उम्र 50 साल
3. राजु पुत्र हीरा देवी पुत्री हरमुख उर्फ हरसुख उम्र 50 साल
4. नरेश पुत्र गोविन्द उम्र 28 साल
5. महेश पुत्र गोविन्द उम्र 27 साल
6. सुरेश पुत्र गोविन्द उम्र 25 साल
7. कृष्णा पुत्री गोविन्द उम्र 22 साल
8. कैलाश पुत्र गोविन्द उम्र 21 साल
9. निशा पुत्री गोविन्द उम्र 20 साल

सभी जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली

––सायलान

बनाम

1. गीता पत्नि स्व0 गंगाकिशन
2. कमलेश
3. राजकुमार
4. नीरज
5. कैलाश

(2 से 5) पुत्र/पुत्रीयान स्व0 गंगाविशन

6. राखी नाबालिग जरिये संरक्षक मां गीता पत्नी गंगाकिशन
7. मंगलिया पुत्री हरमुख उर्फ हरसुख
8. रमेश
9. क्मला
10. निर्मला

(8 से 10) पुत्र/पुत्रीयान शिवनारायण

11. जितेन्द्र पुत्र यशराज

सभी जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर

12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला करौली

–गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–::**निर्णय**::– दिनांक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:43 IS
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण अस्थाई [illegible] सायलान इस प्रकार है कि विवादित आराजी [illegible] 11 विस्वा खं0न0 7936 रकव 15 विस्वा एवं ख0न0 7957 रकवा [illegible] वीघा 8 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा 14 विस्वा वाके

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

कस्बा करौली 10 तहसील करौली जिला करौली में स्थित है उक्त विवादित आराजीयात सायलान एवं गैरसायलान की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की हरमुख उर्फ हरसुख पुत्र गुटेरी कोली के समय की खातेदारी कब्जेकाश्त की रही है सायलान विवादित आराजीयात में अपनी हिस्से को संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात मे हम सायलान का 2/5 हक व हिस्सा है हरमुख उर्फ हरसुख पुत्र गुटेरी कोली की जमाबंदी प्रमाण में प्रस्तुत है। सजर मद नंबर 2 में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी हम पक्षकारान की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है उक्त भूमि हरमुख उर्फ हरसुख पुत्र गुटेरी कोली के समय की है हरमुख उर्फ हरसुख के दो पत्नियां जनकी व सुगनी रही जनकी से गंगाविशन व मंगलिया दो संताने पैदा हुई तथा सुगनी से हीरा देवी किशनी देवी व शिवनारायण पैदा हुये किशनी देवी के सायल नं0 1 रमेश व सायल नं0 2 आशा पैदा हुये तथा हीरा देवी के सायल नं0 2 लगायत 9 वारिसान है तथा शिवनारायण फौत हो चुका है। जिसके गैरसायलान 8 लगायत 11 वारिसान है तथा जनकी से पैदा गंगाविशन फौत हो चुका है जिसके वारिसान 1 लागयत 6 है तथा गैरसायल नं0 7 गंगाविशन की बहन जीवित मौजूद है उक्त विवादित आराजीयात में सायलान अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है गंगाविशन व शिवनारायण चालाक किस्म के व्यक्ति रहे है हम सायलान की मां हीरा देवी व किशनी देवी की नासमझी का फायदा उठाकर अब हजमारी मां के हिससे को हडप करने के ईरादे से एवं चालाकी से राजस्व कर्मचारियों से [illegible] गांगविशन व शिवनारायण ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] करवा लिया। उक्त इन्द्राज हम सायलान के हक हकूका पर बेअसर एवं शून्य है जबकि उक्त पुश्तैनी विवादित आराजीयात में सायल [illegible] 1 व 2 का 1/5 हक व हिस्सा सायल नं0 3 लगायत 9 का 1/5 हक व हिस्सा हे तथा गैरसायल नं0 1 लगायत 6 का 1/5

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:43 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

गैरसायल नं0 7 का 1/5 एवं गैरसायल नं0 8 लगायत 11 का 1/5 हक व हिस्सा रहा है जिसको सायलान राजस्व रिकार्ड में अपने हक में अपने नाम उक्त हिस्सेनुसार घोषणा कराने के अधिकारी है तथा घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के अधिकारी है। विवादित आराजीयात को सायलान एवं गैरसायलान अपने अपने हिस्से को शांतिपूर्णक काश्त करते चले आ रहे है दिनांक 25.04.2025 को सायलान के कब्जेकाश्त के हिस्से में आकर गैरसायलान आमादा फिसाद हो गये और ऐलानिया कहा कि अब तक तो खेतो को काश्त कर लिया अब तुम्हे खेतो को काश्त नही करने देगे तुम्हारा उपरोक्त आराजी में कोई लेना देना नही है हमारे पिताजी गंगाविशन और शिवनारायण तो फोत हो चुके है या ते खेतो को खाली कर देना नही तो तुम्हे भी उनके पास पहुंचा देगे और अब हमने अपने हक में ही उक्त आराजी का नामान्तकरण खुलवा लिया है और जमीन का बेचान करेंगे। तथा सायलान ने राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर पता चला कि गंगाविशन व शिवनारायण के वारिसान ने नामान्तकरण नं0 4059 दिनांक 19.03.2025 तथा नामान्तकरण नं0 4178 दिनांक 02.05.2025 के जरिये अवैध रूप से नामान्तकरण खुलवा लिया है जो सायलान के हक हकूको पर बेअसर निष्प्रभावी एवं शून्य है सायलान ने दिनांक 20.05.2025 को हल्का पटवारी से नकल लेने पर उक्त अवैध कृत्य की जानकारी हुई उक्त कृत्य से सायलान के हक हकूको पर भारी आघात है इसलिये सायलान घोषणा कराने तथा घोषणानुसार अपने हिस्से का पृथक से बंटवारा कराने एव राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के अधिकारी हैं। गैरसायलान सहजोर व्यक्ति है सायलान के कब्जेकाश्त में व्यवधान डालने पर तुले है तथा सायलान के हिस्से से महरूम करना चाहते है। इससे सायलान के हक हकूको पर कुठाराघात है तथा दिनांक 25.04.2025 को भी काश्त नही करने देने तथा बेचान करने की धमकी दे चुके है आये दिन सायलान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:43 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बेदखल करने की धमकी देते है एवं विवादित आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा चुके है तथा बेचान करने की धमकी आये दिन देते हे। इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबंद कराने के अधिकारी है तो सायलान के हिस्से के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं डाले ना किसी अन्य से डलवाये ना ही जबरन बेदखल करे ना ही किसी भी रीति से बेचान करे तथा विवादित आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखे। दावे के निस्तारण में अभी समय लगेगा। इसलिये दौरान दावा गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ने पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचितं है। विवादित आराजी खसरा नं0 7933 रकवा 11 विस्वा ख0न0 7936 रकवा 15 विस्वा एवं ख0न0 7957 रकवा 1 वीघा 8 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली 10 तहसील करौली जिला करौली में सायलान के 2/5 हिस्से के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं डाले ना किसी अन्य से डलवाये ना ही जबरन बेदखल करे ना ही किसी भी रीति से बेचान करे तथा विवादित आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखें। अन्त में गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान नंबर 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान नंबर 1 ता 6 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात खसरा नंबर 7933 7936 एवं 7957 किता 03 कुल रकवा 02 बीघा 4 विस्वा ... कस्बा करौली जिला करौली होना स्वीकार है शेष इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है उक्त आराजीयात का सायलान ने पुश्तैनी होना असत्य दर्ज किया है खसरा नम्बर 7936 की भूमि का कोई सेटलमेंट रिकॉर्ड संवत 2015 की जमाबंदी पेश नही की

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

है। उक्त भूमि गंगविशन एवं शिवनारायण की स्वअर्जित है इस भूमि का सायलान ने हरमुख की होने का रिकार्ड ऑफ राइटस (जमाबंदी) पेश नही किया गया है आराजीयात पर सायलान का कब्जा काश्त नही है। ना कभी रहा है। सायलान का इन आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नही है सायलान के संयुक्त खाातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त में कभी नही रही है। सायलान हरमुख पुत्र गुटेरी की वारिसान नही है। हीरावाई एवं विसनवाई हरमुख पुत्र गुटेरी की पुत्रीयां नही है। ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड, राजकीय रिकार्ड एवं राशन कार्ड सायलान ने पेश नही किया है। मंगलिया गेरसायलान जो है हरमूख की पुत्री नही है। कोई राजकीय रिकॉर्ड पुत्री होने वावत् पेश नही किया है। वादग्रस्त भूमि में सायलान ने अपना हिस्सा होना कब्जा काश्त होना असत्य दर्ज किया है सायलान का हिस्सा 2/5 किस प्रकार से है यह भी वादप में दइर्ज नही यिका है सायलान ने हरमुख के वारिसान होने का कोई विधिवत दस्तावेज पेश नही किया है। वादग्रस्त भूमि गंगाविशन एवं शिवनारायण पुत्रान हरमुख पुत्र गुटेरी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। सायलान ने असत्य तौर वादपत्र हम गैरसायलान के हक हिस्से खातेदारी की भूमि को हडपने को किया है। सायलान ने हरमुख के वाद जो नामान्तकरण हुया है उसके नम्बर एवं दिनांक दर्ज नही की है। नाही ऐसे नामान्तकरण को विधिवत चुनौती दी है। गैरसायलान संख्या 01 स 06 हरमुख के पुत्र गंगाविशन के वारिसान है और उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा भूमि के विधिवत तौर पर खातेदारी है सायलान का हरमुख से कोई सबंध नही है। [illegible] केस अपनी विधिवत साक्ष्य से सावित करना है। सजरा में मं[illegible] को हरमुख की पुत्री होना असत्य दर्ज किया है एवं [illegible] किसनवाई को हरमुख की पुत्री होना असत्य निराधार तौर पर द[illegible] यिका है सायलान ने सजरा निराधार दर्ज किया है। कोई विधिवत साक्ष्य सायलान की नही है। कोई प्रमाणित सजरा नही है। कोई

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

प्रमाण दस्तावेज इस वावत सायलान ने पेश नही किया है। विमला नाम की, रेखा नाम की कोई पुत्री शिवनारायण की नही है। मिश्रीदेवी भी पक्षकार नही बनाई है। भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी नही है सायलान जो हरमुख के वारिसान नही है। भूमि के खातेदार हरमुख के वाद गंगाविशन एवं शिवनारायण बने है। विधिवत है। जनकी से मंगलिया होना अस्तय दर्ज किया है। सुगनी से हीरादेवी व किसनवाई हरमुख से पैदा होना असत्य दर्ज किया हे। सायलान जो है हरमुख के वारिसान/उत्तराधिकारी नही हे। सायलान ने शिवनारायण ने पेश नही किया है गैरसायलान संख्या 08 से 11 शिवनारायण के वारिसान है गंगाविशन के गैरसायलान संख्या 01 से 06 वारिसान सायलान का भूमि वादग्रस्त में कोई हिस्सा हक हकूक खातेदारी अधिकार नही है। किसी प्रकार का कब्जा काश्त भूमि पर सायलान का नही है। गंगाविशन एवं शिवनारायण के हक में खातेदारी सही तौर पर विधिवत तौर पर दर्ज की गइ है भूमि सायलान संख्या 01 व 02 का 1/5 हक एवं सायलान संख्या 03 लगायत 05 का 1/5 हक व हिस्सा नही है। गैरसायलान संख एक लगायत 06 का 1/5 हिस्सा नही होकर 1/2 हिस्सा हे गैरसायल नम्बर 07 का कोई हक हिस्सा नही है सायलान ने गैरसायलान संख्या एक लगायत 06 का 1/5 हिस्सा होना असत्य दर्ज किया है गैरसायलान संख्या 08 लगायत 11 का 1/2 हिस्सा है सायलान ने 1/5 हिस्सा होना असत्य दर्ज किया है। सायलान अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नही है एवं सायलान राजस्व रिकॉर्ड में अपने हक में खातेदारी इन्द्राज कराने के अधिकारी नही है सायलान हरमुख के वारिसान हे यह तथ्य सायलान को अपने विधिवत दस्तोवजी साक्ष्य से सावित करना है। यह वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है। सायलान का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा एवं उपयोग नही है। गैरसायलान संख्या 01 से 06 एवं गैरसायलान सख्या 08 से 11 ही भूमि पर काविज काश्त हे अन्य का

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:06:4
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कब्जा काश्त नही है सायलान का जब भूमि पर कब्जा काश्त ही नही है। तब दिनांक 25.04.2025 के दिवस गैरसायलान जवाबदारान का आमादा फिसाद होने का कोई प्रश्न नही है। सायलान ने इस पैरा में असत्य एवं मनगढनत तथ्य झूठा वादकारण बनाने को दर्ज किये है। सायलान का वाद भूमि से कोई लेना देना नही है। कब्जा गैरसायलान संख्या 01 से 06 एवं 08 से 11 का है। तब सायलान को खेत खाली कर देने की हम गैरसायलान के हक में इन्द्राज है। हम गैरसायलान 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है हमारे हक में पिता के मरने पर नामान्तकरण हुया है। सायलान का कोई हक हकूक भूमि वादग्रस्त में नही है। गैरसायलान संख्या 01 से 06 एवं 08 से 11 विधिवत तौर पर खातेदारी काश्त कार भूमि वादग्रस्त के हे। सायलान भूमि का बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। नाही सायलान अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के अधिकारी नही कहां है। सायलान का कोई हक हिस्सा खातेदारी अधिकार वादग्रस्त भूमि में नही है। भूमि पर सायलान का कब्जा काश्त नही है। तब कब्जे काश्त सायलान में व्यवधान करने का कोई प्रश्न नही है भूमि हम गैरसायलान के कब्जे काश्त में है। सायलान का कोई हक हकूक नही है। तब सायलान को आघात होने का कोई प्रश्न नही है। दिनांक 25.04.2025 के दिवस कोई धमकी हमने सायलान को नही दी है। सायलान का भूमि पर कब्जा ही नही है। तब सायलान को बेदखल किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। हमारे नाम खातेदारी है जो सही है। विधिवत हैं। सायलान हम गैरसायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है। कब्जा काश्त भूमि पर हम गैरसायलान का है सायलान का भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नही है। सायलान हम गैरसायलान के विरूद्व किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अंत में प्रार्थना–पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान नंबर 8 ता 11 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:06:
Reason: SelfAttested

विवाद भूमि खसरा नम्बर 7933 रकवा 11 विस्वा खसरा नम्बर 7936 रकवा 15 विस्वा एव खसरा नम्बर 7957 रकवा 01 वीघा 08 विस्वा कुल किता 03 कुल रकवा 02 वीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का 10 तहसील करौली जिला करौली में स्थित होना स्वीकार है स्वीकार नही है विवाद भूमि शिवनारायन व गंगाविसन पुत्रान हरसुख जाति कोली के खातेदारी वा कब्जे की है। जिसमें 1/2 हिस्सा शिवनारायन व 1/2 हिस्सा गंगाविसन का स्वर्गवास होने के बाद विरासत शिवनारायन हिस्सा 1/2 के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र शिवनारायन, कमला कुमारी, निर्मला कुमारी पुत्रीयान शिवनारायन व जितेन्द्र कुमार पत्रु यशराज के नाम विरासत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हैं। एवं गंगाविसन हिस्सा 1/2 के स्थान पर गीता पत्नी गंगाविसन, राजकुमार, कैलाश पिसरान गंगाविशन, कमलेश, नीरज, राखी (नाबालिग) पुत्रीया गंगाविसन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। जो विधिवत है सही है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। सायलान का विवाद भूमि में 2/5 हक हिस्सा नही है। नाही सायलान हरसुख के वारिस है हरसुख के वारिसान गंगाविसन वा शिवनारायन है। इनके अलावा सायलान वारिस नही है। सायलान कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। नाही सायलान का कब्जा है। सारे तथ्य बनावटी तौर पर दर्ज किये है। वादी सायलान खारिज किये जाने योग्य है। सायलान हरमुख उर्फ हरसुख पुत्र गुटेरी कोली के विधिक वारिस नही हैं। सजरा गलल पेश किया हैं। सायलान ने अपने आपको सजरा में हरमुख का वारिस गलत तौर पर दर्ज किया गया है। एवं रेखा, विमला का नाम गलत दर्ज किया है। सायलान ने पैरा में का वादकारण बनाने लिए झूठे तथ्य दर्ज किये है। सायलान का उक्त विवाद भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है। विवाद भूमि गैरसायलान 01 ता 06 एवं जवाबदार गैरसायलान 08 से 11 के खातेदारी व कब्जे की है। सायलान हरसुख के विधिक वारिस नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

है। इस आधार पर कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद सायलान खारिज किये जाने योग्य है। सायलान का विवाद भूमि में 2/5 हक हिस्सा नही है। सायलान हक हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी नही है। ऐसा कोई दस्तावेज सायलान ने पेश नही किया है। जिसमें हरमुख के वारिस होना। सावित होता हो सायलान कोई इन्द्राज दुरूस्थी कराने के अधिकारी नही है। दिनांक 25.04.2025 के दिवस जवाबदारान द्वारा सायलान के कब्जे काश्त में आमादा फिसाद करने की ऐलानिया नही कहा है। सारे तथ्य झूठा वादकारण बनाने को दर्ज किये है। जवाबदार गैरसायलान के हक में नामान्तकरण सही हुआ है। जो विधिवत है। सायलान कोई बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। दावा सायलान खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि सायलान का कोई कब्जा नही है। नाही हक वा हिस्सा है। सायलान सारे तथ्य मनगढन्त तौर पर दर्ज किये है विवाद भूमि में सायलान का हक हिस्सा ही नही है। तब कब्जा होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। सायलान पठान खिडकिया बाहर करौली के निवासी नही है। निवासी होने का कोई दस्तावेज भी पेश नही किया है। सायलान के हक हकूक पर कोई कुठारघात नही हुआ हैं। सायलान कब्जा ही नही हैं। तब दिनांक 25.04.2025 के दिवस बेदखल करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता हैं। ऐसी स्थिति में सायलान गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही हैं। दावा सायलान खारिज किये जाने योग्य है। सायलान दिनांक 25.04.2025 एवं 20.05.2025 के विरूद पैदा नही हुई इस आधार पर दावा सायलान खारिज किये जाने योग्य है। सायलान को कब्जे काश्त में व्यवधान डालने व बेदखल करने बेचान करने की ऐलानिया गैरसायलान ने नही कहा है सारे तथ्य कपोल कल्पित दर्ज किये है। दावा सायलान म्याद बाहर है। अंत में प्रार्थना पत्र टी आई खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बहस वकील सायला व गैरसायलान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान ने बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 7933 रकवा 11 विस्वा खं0न0 7936 रकव 15 विस्वा एवं ख0न0 7957 रकवा 1 वीघा 8 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली 10 तहसील करौली जिला करौली में स्थित है उक्त विवादित आराजीयात सायलान एवं गैरसायलान की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की हरमुख उर्फ हरसुख पुत्र गुटेरी कोली के समय की खातेदारी कब्जेकाश्त की रही है सायलान विवादित आराजीयात में अपनी हिस्से को संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात मे हम सायलान का 2/5 हक व हिस्सा है हरमुख उर्फ हरसुख पुत्र गुटेरी कोली की जमाबंदी प्रमाण में प्रस्तुत है। सजर मद नंबर 2 में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी हम पक्षकारान की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है उक्त भूमि हरमुख उर्फ हरसुख पुत्र गुटेरी कोली के समय की है हरमुख उर्फ हरसुख के दो पत्नियां जनकी व सुगनी रही जनकी से गंगाविशन व मंगलिया दो संताने पैदा हुई तथा सुगनी से हीरा देवी किशनी देवी व शिवनारायण पैदा हुये किशनी देवी के सायल नं0 1 रमेश व सायल नं0 2 आशा पैदा हुये तथा हीरा देवी के सायल नं0 2 लगायत 9 वारिसान है तथा शिवनारायण फौत हो चुका है। जिसके गैरसायलान 8 लगायत 11 वारिसान है तथा जनकी से पैदा गंगाविशन फौत हो चुका है जिसके वारिसान 1 लागयत 6 है तथा गैरसायल नं0 7 गंगाविशन की बहन जीवित मौजूद है उक्त विवादित आराजीयात में सायलान अपने हिस्से काश्त करते चले आ रहे है गंगाविशन व शिवनारायण चालाक किस्म के व्यक्ति रहे है हम सायलान की मां हीरा देवी व किशनी देवी की नासमझी का फायदा उठाकर अब हजमारी मां के हिससे को हड़प करने के ईरादे से एवं चालाकी से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सम्पूर्ण खाता गांगविशन व शिवनारायण ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

में अंकित करवा लिया। उक्त इन्द्राज हम सायलान के हक हकूको पर बेअसर एवं शून्य है जबकि उक्त पुश्तैनी विवादित आराजीयात में सायल नं0 1 व 2 का 1/5 हक व हिस्सा सायल नं0 3 लगायत 9 का 1/5 हक व हिस्सा हे तथा गैरसायल नं0 1 लगायत 6 का 1/5 गैरसायल नं0 7 का 1/5 एवं गैरसायल नं0 8 लगायत 11 का 1/5 हक व हिस्सा रहा है जिसको सायलान राजस्व रिकार्ड में अपने हक में अपने नाम उक्त हिस्सेनुसार घोषणा कराने के अधिकारी है तथा घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के अधिकारी है। विवादित आराजीयात को सायलान एवं गैरसायलान अपने अपने हिस्से को शांतिपूर्णक काश्त करते चले आ रहे है दिनांक 25.04.2025 को सायलान के कब्जेकाश्त के हिस्से में आकर गैरसायलान आमादा फिसाद हो गये और ऐलानिया कहा कि अब तक तो खेतो को काश्त कर लिया अब तुम्हे खेतो को काश्त नही करने देगे तुम्हारा उपरोक्त आराजी में कोई लेना देना नही है हमारे पिताजी गंगाविशन और शिवनारायण तो फोत हो चुके है या ते खेतो को खाली कर देना नही तो तुम्हे भी उनके पास पहुंचा देगे और अब हमने अपने हक में ही उक्त आराजी का नामान्तकरण खुलवा लिया है और जमीन का बेचान करेंगे। तथा सायलान ने राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर पता चला कि गंगाविशन व शिवनारायण के वारिसान ने नामान्तकरण नं0 4059 दिनांक 19.03.2025 तथा नामान्तकरण नं0 4178 दिनांक 02.05.2025 के जरिये अवैध रूप से नामान्तकरण खुलवा लिया है जो सायलान के हक हकूको पर बेअसर निष्प्रभावी एवं शून्य है सायलान ने दिनांक 20.05.2025 को हल्का पटवारी से नकल लेने पर उक्त अवैध कृत्य की जानकारी हुई उक्त कृत्य से सायलान के हक हकूको पर भारी आघात है इसलिये सायलान घोषणा कराने तथा घोषणानुसार हिस्से का पृथक से बंटवारा कराने एव राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के अधिकारी हैं। गैरसायलान सहजोर व्यक्ति है सायलान के कब्जेकाश्त में व्यवधान डालने पर तुले है तथा सायलान के हिस्से से महरूम करना चाहते है। इससे सायलान के हक हकूको पर कुठाराघात है तथा दिनांक 25.04.2025 को भी काश्त नही करने देने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

तथा बेचान करने की धमकी दे चुके है आये दिन सायलान को बेदखल करने की धमकी देते है एवं विवादित आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा चुके है तथा बेचान करने की धमकी आये दिन देते हे। इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबंद कराने के अधिकारी है तो सायलान के हिस्से के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं डाले ना किसी अन्य से डलवाये ना ही जबरन बेदखल करे ना ही किसी भी रीति से बेचान करे तथा विवादित आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखे। दावे के निस्तारण में अभी समय लगेगा। इसलिये दौरान दावा गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ने पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। विवादित आराजी खसरा नं0 7933 रकवा 11 विस्वा ख0न0 7936 रकवा 15 विस्वा एवं ख0न0 7957 रकवा 1 वीघा 8 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली 10 तहसील करौली जिला करौली में सायलान के 2/5 हिस्से के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं डाले ना किसी अन्य से डलवाये ना ही जबरन बेदखल करे ना ही किसी भी रीति से बेचान करे तथा विवादित आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखें। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्रों के दर्ज तथ्यों को इंनकार करते हुए कथन किया है कि आराजीयात खसरा नंबर 7933 एवं 7936 एवं 7957 किता 03 कुल रकवा 02 वीघा 4 विस्वा स्थित कस्बा करौली जिला करौली होना स्वीकार है उक्त आराजीयात का सायलान ने पुश्तैनी होना असत्य दर्ज किया है खसरा नम्बर 7936 की भूमि का कोई सेटलमेंट रिकॉर्ड संवत 2015 की जमाबंदी पेश नही की है। उक्त भूमि गंगविशन एवं शिवन[illegible] की स्वअर्जित है इस भूमि का सायलान ने [illegible] का रिकार्ड ऑफ राइटस (जमाबंदी) पेश नही किया गया है आराजीयात पर सायलान का कब्जा काश्त नही है। ना कभी रहा है। सायलान का इन आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नही है सायलान के संयुक्त खाातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त में कभी नही रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

सायलान हरमुख पुत्र गुटेरी की वारिसान नही है। हीरावाई एवं विसनवाई हरमुख पुत्र गुटेरी की पुत्रीयां नही है। ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड, राजकीय रिकार्ड एवं राशन कार्ड सायलान ने पेश नही किया है। मंगलिया गेरसायलान जो है हरमुख की पुत्री नही है। कोई राजकीय रिकॉर्ड पुत्री होने वावत् पेश नही किया है। वादग्रस्त भूमि में सायलान ने अपना हिस्सा होना कब्जा काश्त होना असत्य दर्ज किया है सायलान का हिस्सा 2/5 किस प्रकार से है यह भी वादप में दइर्ज नही यिका है सायलान ने हरमुख के वारिसान होने का कोई विधिवत दस्तावेज पेश नही किया है। वादग्रस्त भूमि गंगाविशन एवं शिवनारायण पुत्रान हरमुख पुत्र गुटेरी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। सायलान ने असत्य तौर वादपत्र हम गैरसायलान के हक हिस्से खातेदारी की भूमि को हडपने को किया है। सायलान ने हरमुख के वाद जो नामान्तकरण हुया है उसके नम्बर एवं दिनांक दर्ज नही की है। नाही ऐसे नामान्तकरण को विधिवत चुनौती दी है। गैरसायलान संख्या 01 स 06 हरमुख के पुत्र गंगाविशन के वारिसान है और उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा भूमि के विधिवत तौर पर खातेदारी है सायलान का हरमुख से कोई सबंध नही है। सायालान को अपना केस अपनी विधिवत साक्ष्य से सावित करना है। सजरा में मंगलिया को हरमुख की पुत्री होना असत्य दर्ज किया है एवं हीरादेवी व किसनवाई को हरमुख की पुत्री होना असत्य निराधार तौर पर दर्ज यिका है सायलान ने सजरा निराधार दर्ज किया है। कोई विधिवत साक्ष्य सायलान की नही है। कोई प्रमाणित सजरा नही है। कोई प्रमाण दस्तावेज इस वावत सायलान ने पेश नही किया है। विमला नाम की, रेखा नाम की कोई पुत्री शिवनारायण की नही है। मिश्रीदेवी भी पक्षकार नही बनाई है। भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी नही है सायलान जो हरमुख के वा[illegible] नही है। भूमि के खातेदार हरमुख के [illegible] शिवनारायण बने है। विधिवत है। जनकी से [illegible] दर्ज किया है। सुगनी से हीरादेवी व किसनवाई हरमुख से पैदा हो[illegible] असत्य दर्ज किया हे। सायलान जो है हरमुख के वारिसान/उत्तराधिकारी नही हे। सायलान ने शिवनारायण ने पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नही किया है गैरसायलान संख्या 08 से 11 शिवनारायण के वारिसान है गंगाविशन के गैरसायलान संख्या 01 से 06 वारिसान सायलान का भूमि वादग्रस्त में कोई हिस्सा हक हकूक खातेदारी अधिकार नही है। किसी प्रकार का कब्जा काश्त भूमि पर सायलान का नही है। गंगाविशन एवं शिवनारायण के हक में खातेदारी सही तौर पर विधिवत तौऱ पर दर्ज की गइ है भूमि सायलान संख्या 01 व 02 का 1/5 हक एवं सायलान संख्या 03 लगायत 05 का 1/5 हक व हिस्सा नही है। गैरसायलान संख एक लगायत 06 का 1/5 हिस्सा नही होकर 1/2 हिस्सा हे गैरसायल नम्बर 07 का कोई हक हिस्सा नही है सायलान ने गैरसायलान संख्या एक लगायत 06 का 1/5 हिस्सा होना असत्य दर्ज किया है गैरसायलान संख्या 08 लगायत 11 का 1/2 हिस्सा है सायलान ने 1/5 हिस्सा होना असत्य दर्ज किया है। सायलान अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नही है एवं सायलान राजस्व रिकॉर्ड में अपने हक में खातेदारी इन्द्राज कराने के अधिकारी नही हे सायलान हरमुख के वारिसान हे यह तथ्य सायलान को अपनी विधिवत दस्तोवजी साक्ष्य से सावित करना है। यह वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है। सायलान का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा एवं उपयोग नही है। गैरसायलान संख्या 01 से 06 एवं गैरसायलान सख्या 08 से 11 ही भूमि पर काविज काश्त हे अन्य का कब्जा काश्त नही है सायलान का जब भूमि पर कब्जा काश्त ही नही है। तब दिनांक 25.04.2025 के दिवस गैरसायलान जवाबदारान का आमादा फिसाद होने का कोई प्रश्न नही है। सायलान ने इस पैरा में असत्य एवं मनगढनत तथ्य झूठा वादकारण बनाने को दर्ज किये है। सायलान का वाद भूमि से कोई लेना देना नही है। कब्जा गैरसायलान संख्या 01 से 06 एवं 08 से 11 का है। तब सायलान को खेत खाली क[illegible] देने की हम गैरसायलान के हक में इन्द्राज है। हम गैरसायलान 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है हमा[illegible] पिता के मरने पर नामान्तकरण हुया है। सायलान का कोई हक हकूक भूमि वादग्रस्त में नही है। गैरसायलान संख्या 01 से 06 एवं 08 से 11 विधिवत तौर पर खातेदारी काश्त कार भूमि वादग्रस्त के हे।

Signature Not Verif
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

सायलान भूमि का बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। नाही सायलान अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के अधिकारी नही कहां है। सायलान का कोई हक हिस्सा खातेदारी अधिकार वादग्रस्त भूमि में नही है। भूमि पर सायलान का कब्जा काश्त नही है। तब कब्जे काश्त सायलान में व्यवधान करने का कोई प्रश्न नही है भूमि हम गैरसायलान के कब्जे काश्त में है। सायलान का कोई हक हकूक नही है। तब सायलान को आघात होने का कोई प्रश्न नही है। दिनांक 25.04.2025 के दिवस कोई धमकी हमने सायलान को नही दी है। सायलान का भूमि पर कब्जा ही नही है। तब सायलान को बेदखल किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। हमारे नाम खातेदारी है जो सही है। विधिवत हैं। सायलान हम गैरसायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है। कब्जा काश्त भूमि पर हम गैरसायलान का हे सायलान का भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नही है। सायलान हम गैरसायलान के विरूद्ध किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अंत में प्रार्थना–पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। विवाद भूमि खसरा नम्बर 7933 रकवा 11 विस्वा खसरा नम्बर 7936 रकवा 15 विस्वा एव खसरा नम्बर 7957 रकवा 01 वीघा 08 विस्वा कुल किता 03 कुल रकवा 02 वीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का 10 तहसील करौली जिला करौली में स्थित होना स्वीकार है स्वीकार नही है विवाद भूमि शिवनारायन व गंगाविसन पुत्रान हरसुख जाति कोली के खातेदारी वा कब्जे की है। जिसमें 1/2 हिस्सा शिवनारायन व 1/2 हिस्सा गंगाविसन का स्वर्गवास होने के बाद विरासत शिवनारायन हिस्सा 1/2 के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र शिवनारायन, कमला कुमारी, निर्मला कुमारी पुत्रीयान शिवनारायन व जितेन्द्र कुमार पत्रु यशराज के नाम विरासत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हैं। एवं गंगाविसन हिस्सा 1/2 के स्थान पर गीता पत्नी गंगाविसन, राजकुमार, कैलाश [illegible] गंगाविसन, कमलेश, नीरज, राखी (नाबालिग) पुत्रीया गंगाविसन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। जो विधिवत है सही है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। सायलान का विवाद भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:06:4
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2/5 हक हिस्सा नही है। नाही सायलान हरसुख के वारिस है हरसुख के वारिसान गंगाविसन वा शिवनारायन है। इनके अलावा सायलान वारिस नही है। सायलान कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। नाही सायलान का कब्जा है। सारे तथ्य बनावटी तौर पर दर्ज किये है। वादी सायलान खारिज किये जाने योग्य है। सायलान हरमुख उर्फ हरसुख पुत्र गुटेरी कोली के विधिक वारिस नही हैं। सजरा गलल पेश किया हैं। सायलान ने अपने आपको सजरा में हरमुख का वारिस गलत तौर पर दर्ज किया गया है। एवं रेखा, विमला का नाम गलत दर्ज किया है। सायलान ने पैरा में झूठा वादकारण बनाने लिए झूठे तथ्य दर्ज किये है। सायलान का उक्त विवाद भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है। विवाद भूमि गैरसायलान 01 ता 06 एवं जवाबदार गैरसायलान 08 से 11 के खातेदारी व कब्जे की है। सायलान हरसुख के विधिक वारिस नही है। इस आधार पर कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद सायलान खारिज किये जाने योग्य है। सायलान का विवाद भूमि में 2/5 हक हिस्सा नही है। सायलान हक हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी नही है। ऐसा कोई दस्तावेज सायलान ने पेश नही किया है। जिसमें हरमुख के वारिस होना। सावित होता हो सायलान कोई इन्द्राज दुरूस्थी कराने के अधिकारी नही है। दिनांक 25.04.2025 के दिवस जवाबदारान द्वारा सायलान के कब्जे काश्त में आमादा फिसाद करने की ऐलानिया नही कहा है। सारे तथ्य झूठा वादकारण बनाने को दर्ज किये है। जवाबदार गैरसायलान के हक में नामान्तकरण सही हुआ है। जो विधिवत है। सायलान कोई बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। दावा सायलान खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि सायलान का कोई कब्जा नही है। नाही हक वा हिस्सा है। सायलान सारे तथ्य मनगढन्त तौर पर दर्ज किये है विवाद भूमि में सायलान का हक हिस्सा ही नही है। तब कब्जा होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। सायलान पठान खिड़किया नहर करौली के निवासी नही है। निवासी होने का कोई दस्तावेज भी पेश नही किया है। सायलान के हक हकूक पर कोई कुठारघात नही हुआ है। सायलान कब्जा ही नही हैं। तब दिनांक 25.04.2025 के दिवस

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

बेदखल करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता हैं। ऐसी स्थिति में सायलान गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही हैं। दावा सायलान खारिज किये जाने योग्य है। सायलान दिनांक 25.04.2025 एवं 20.05.2025 के विरूद पैदा नही हुई इस आधार पर दावा सायलान खारिज किये जाने योग्य है। अतं में प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायलान ने प्रार्थना–पत्र में भूमि को हरमुख उर्फ हरसुख की खातेदारी की होना व हरसुख की दो पत्नियां होना बताया है। और भूमि में सायलान ने अपना 2/5 हिस्सा होना कथन किया है। और हरमुख के वारिसान होना बताया है और भूमि के 2/5 हिस्सा पर अपना कब्जा काश्त होना कथन किया है। सायलान ने हरसुख के वारिसान होने का कोई दस्तावेज वोटर लिस्ट राशन कार्ड पत्रावली में पेश नहीं किये है और ना ही किशन बाई व हीरादेवी का कोई दस्तावेज हरसुख की पुत्री होने का पेश नहीं किया है। जबकि संवत 2015 में भूमि हरसुखा पुत्री गुटेरी कौम कोली सा. देह करौली के नाम दर्ज है एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है। जिससे सायलान का प्राईमाफेसी केस प्रकट नहीं होता है। पाबंद किये जाने में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार गैरसायलान को सायलान ने अधिक अपूर्णीय क्षति व असुविधा होना प्रकट होता है। सायलान रिकॉर्डेड खातेदार गैरसायलान के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने हकदार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान विरूद्व गैरसायलान खारिज किया जाता है। दिनांक 23.5.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30/1/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:43
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)